

26.9.19

गई। डाका दफ्तर रोजकर ला (अंक 9) का
देव सम्मन जारी होकर 23.12.19 को पेस हो

27/12/19

पभावली पैरा। अवलोकन किया गया। वादी
का प्रतिकादी नम्बर। श्री खालेदारी की इमि
पट से प्रतिकादी नं.। का नाम हराया जाकर
बादाल इमि पट खालेदारी स्वल्प घोषणा का
अनुलोप चारा गया है।

वादी अनुसूचित जन जाति का सदस्य
नहीं है। प्रतिकादी नं.। अनुसूचित जनजाति
का सदस्य है, जिसकी इमि पट विधि
के अनुसार आवधानी के तहत वादी का
प्रतिकादी नं.। के विरुद्ध विपरीत खालेदारी
घोषणा का अनुलोप नहीं किया जा

सकता। वादी का वाद धारा 42
R.T. Act के तहत बाधित है।
जिस की एडवर्स प्रजेशन जैसे -

खामान्य नियम के आलम्बन से वादी
का धारा 42 R.T. Act 1955 के तहत -
भाव की प्राप्त कर अनुलोप नहीं
किया जा सकता।

27/12/19

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो
हुकम की त
में जारी

बादी हा वाद विधि डाला वीजित
है अनलजिस्टर्ड / रीजिस्टर्ड वयनामा अमान्य है
अतः आदेश न. चिमम ॥ ८०५८.
के आवधानी के तहत वाद बादी
इसी हतर पर खालिज किया
जाता है

पत्रावली फेल्ट युक्त लोक
जिस्टर्ड लेख मंडाल ही लडकुषाल
डिही मुलिया ही

चिमम अल रिनोक २०.१२.१९
के विद्वान व्यापारम के लुगामा गम

27/1/20
(चिमनदास शीन)
R.A.S

अंलिम - डिकरी व मुकदमे ~~का~~

(अंर 20, खल 6-7, पाष्ता दोवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अण जायागत - उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

व रूपणारा - चिमनलाल मीना (R.A.S.)

रामगंजमण्डी कासलाल
पाषा म.षत - 38-34-188 R.A.S. 1955

मुकदमा नं. 116 माह 2015

अण मुकदमा जाण घास्ते इतफिसाल कसरी ख.ब.क. चिमनलाल मीना (R.A.S.)

घराणारा श्रीचंदन गुला एड. मिनजानिय मुदयालहा पेण होकर, मुमम दिपा जाता हे व डिकरी धी जाती हे कि

जाड वाकी खालिज किया जाता

बीज - मुबकिया

अची इस मुकदमे के मप दूद व धारहे फोलदी सालाना जाण की तारीख

से तारीख वसुलधावी तक - 27 माह 2015

रुदत मेरे दस्तखत न मुहर अदालत के अण तारीख 27 माह 12 2015

भी जारी की गई।

दस्तखत - उपखण्ड अधिकारी
ओहवा - रामगंजमण्डी

मुहर

मुहर	रुपया	पं.	मुदायजत	रुपया	पं.
रहाम अजीदावा	2	-	स्टामन वकालतनामा	}	
रर अ वकालतनामा	1		स्टामन अफी		
स्टामन मणह राबुल	-		महमजान वकील 12		
महमजाना वकील	-		खचो मयाहान		
अची मयाहान	-		फोल कसिसार		
फीन मभिसनर	-		बाजल इजरायल मुकदमा		
बाजल इजरायल मुकदमा	-		मुदफरिका		
मुतफरिका	20				
मीजात	22	-	मीजात		

नोट - इस पत्र के फरमे पर कुल खर्च हर धी फरीया का, अाई डिकरी के अरिमे हिसाब कये हो या नाही इस अरुना काहिमे।

अ. ड. अ. - 40-2002-1,00,000 अ.

27/1/15
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी